

भारत का गजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, बुध्दिवार, जून 5, 1980/ज्येष्ठा 15, 1902
No. 151] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 1980/JYAISTHA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के
रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 5 जून, 1980

अधिसूचना

सा. का. नि. 285(अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मूद्रा
छलसाधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 12
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के
वित्त मंत्रालय, राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.
3(अ), तारीख 3 जनवरी, 1977 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "हलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश

माननीय श्री ज्ञान चन्द माथुर" शब्दों के स्थान पर "दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश माननीय फौजा सिंह गिल" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 22/14/80-प्रशा. 1क(क)]

कैलाश पति दत्त टण्डन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th June, 1980

NOTIFICATION

G.S.R. 285(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. G.S.R. 3(E) dated the 3rd January, 1977 namely :—

In the said notification for the words "Hon'ble Shri Justice Gyan Chand Mathur, retired Judge of the Allahabad High Court", the words "Hon'ble Shri Justice Fauja Singh Gill, retired Judge of the Delhi High Court" shall be substituted.

[F. No. 22/14/80-Ad. I-A(C)]

KAILASH P. D. TNDAN, Desk Officer